

संस्थान के मुख्य द्वार के समीप
साईकिल/स्कूटर एवं मोटरसाइकिल स्टैण्ड चलाने हेतु
निविदा प्रपत्र

निविदा संख्या 10/2025-26

सम्पदा कार्यालय
भा0 प्रौ0 स0 कानपुर
द्वारा जारी



भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर
संपदा कार्यालय

(भूतल), संकाय भवन एनेक्से (दूरभाष 0512 –259 7166, 7327 एवं ईमेल: eoffice@iitk.ac.in)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर
सम्पदा कार्यालय

(भूतल), संकाय भवन एनेक्से (दूरभाष 0512 –259 7166, 7327 एवं ईमेल: eoffice@iitk.ac.in)

निविदा सूचना संख्या-10/2025-26

दिनांक: 05/08/2025

निदेशक, भा.प्रौ.सं. कानपुर की ओर से संस्थान परिसर के मुख्य द्वार, रेलवे कासिंग के समीप स्थित साईकिल/स्कूटर स्टैण्ड को ठेके पर चलाने हेतु मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

इच्छुक व्यक्ति पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा संस्थान के सम्पदा कार्यालय में दिनांक 27.08.2025 को अपरान्ह 4.00 बजे तक जमा कर सकते हैं। इसके उपरांत प्राप्त की गई निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त निविदाओं को खोलने की तिथि, समय व स्थान की घोषणा बोलीदाता को अलग से सूचित की जाएगी।

निविदा प्रपत्र संस्थान की वेबसाइट www.iitk.ac.in/estateoffice/tender से डाउनलोड किया जा सकता है।

—ह0—

प्रभारी अधिकारी (सम्पदा)

प्रतिलिपि:

1. उपनिदेशक
2. डीन, प्रशासन
3. सूचना पट्ट
4. वेबसाइट।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर

सम्पदा कार्यालय

(भूतल), संकाय भवन एनेक्से (दूरभाष 0512 –259 7166, 7327 एवं ईमेल: eoffice@iitk.ac.in)

पत्रता संबंधी शर्तें

1. बोलीदाता पिछले दो वर्षों से यह कार्य कर रहा हो।
2. बोलीदाता की वित्तीय स्थिति बेहतर होनी चाहिए।
3. जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाणपत्र, आयकर पंजीयन प्रमाणपत्र, पैन कार्ड और आधार कार्ड की छायाप्रति।

निविदा संबंधित अनिवार्य संलग्नक

1. अनुभव प्रमाणपत्र
2. पिछले एक साल का बैंक विवरण
3. विगत 2 वर्षों का आयकर रिटर्न
4. वस्तुओं/सेवाओं की सूची
5. बोलीदाता का विवरण
6. बयाना राशि का बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर
7. पुलिस सत्यापन रिपोर्ट/चरित्र प्रमाण पत्र
8. अंकेक्षित बैलेंस शीट के साथ-साथ पिछले दो वर्षों के कुल कारोबार एवं लाभ/हानि सहित लाभ एवं हानि खाता का प्रमाण पत्र।

निविदा की अन्य नियम व शर्तें

1. इस निविदा की न्यूनतम आरक्षित मूल्य रु0 72,000/- है। इससे कम की बोली को स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।
2. निविदा में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता को बयाने के रूप में रु0 10,000/- का बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर "रजिस्ट्रार, आई.आई.टी. कानपुर" के पक्ष में निर्गत हो की मूल प्रति निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि व समय तक "सम्पदा कार्यालय, आई.आई.टी. कानपुर" में जमा करना अनिवार्य है। उपरोक्त निर्धारित राशि के बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर की मूल प्रति तय तिथि व समय तक प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. निविदा स्वीकृत की सूचना जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर सफल निविदाकर्ता को तत्सम्बन्ध में संस्थान के साथ विधिवत प्रतिभूति राशि जमा करके एक समझौता हस्ताक्षरित करना होगा। ऐसा न करने की दशा में सफल निविदाकर्ता की बयाना धनराशि जब्त कर ली जायेगी। समझौते हेतु सफल निविदाकर्ता को स्वयं के खर्चे पर एवं अपने नाम का रु0 100/- का एक गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर सम्पदा कार्यालय में जमा करना होगा।
4. यह लाइसेंस अनुबन्ध में हस्ताक्षर होने की तिथि से प्रारम्भ में एक साल के लिए होगी। पहले तीन महीनें परीक्षा की अवधि होगी और परीक्षा अवधि के संतोषजनक पूरा होने पर, अनुबंध को स्वचालित रूप से शेष अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा, अर्थात् अगले नौ महीने। इसके बाद, पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर अनुबंध को दो और साल के लिये बढ़ाया जाएगा (एक बार में एक वर्ष)।
5. निविदाकर्ता को निविदा के साथ ऊपर लिखे हुए संलग्नकों के अतिरिक्त निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है:-
 - क. आवेदन प्रपत्र परिशिष्ट-1
 - ख. बयाना धनराशि का बैंक ड्राफ्ट
 - ग. एक स्वहस्ताक्षरित फोटो जो नियत स्थान पर पेस्ट होना चाहिये।

6. संलग्नकों सहित निविदा प्रपत्र का प्रत्येक पृष्ठ निविदाकर्ता अथवा उनके सक्षम प्रतिनिधि द्वारा सील के साथ हस्ताक्षरित होना चाहिये तथा कहीं कोई कटिंग नहीं होनी चाहिये। यदि किसी कारणवश कटिंग अनिवार्य हो, तो उसका प्रतिहस्ताक्षरित होना अभीष्ट है।
7. संस्थान के पास निविदा/निविदाओं को बिना किसी कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है तथा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की क्षति के लिये संस्थान किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा और ना ही इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार किया जायेगा।
8. निविदाकर्ता के द्वारा निविदा स्वीकृति के पश्चात् सम्पूर्ण धनराशि एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी तथा अनुबन्ध में हस्ताक्षर करना होगा।
9. यदि सफल निविदाकर्ता समझौते पर हस्ताक्षर करने में देरी, बहानेबाजी या इन्कान करता है तो उसके द्वारा जमा की गयी बयाना राशि क्षति के रूप में जब्त की जा सकती है।
10. यदि सफल निविदाकर्ता अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन में अपना निविदा वापस ले लेता है और जो अपनी वैधता की अवधि के भीतर अपनी निविदा स्वीकार करने के बाद लाइसेंस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा किया गया बयाना धन जब्त किया जा सकता है।
11. लाइसेंसधारी द्वारा प्रतिभूति राशि ₹0 50000/- संस्थान के खाते में जमा करनी होगी। लाइसेंसधारी को प्रतिभूति राशि, बिना ब्याज के, आवंटित परिसर का खाली कब्जा उक्त परिसर से सम्बन्धित समस्त देय राशि का भुगतान करने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।
12. यदि किसी भी समय तथा किसी भी कारण से (जिसका कि पूर्व के अनुच्छेदों अथवा कहीं और पर उल्लेख किया गया हो) जमा प्रतिभूति राशि में कोई कमी आती है तो लाइसेंसधारक को इस सम्बन्ध में नोटिस प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर एक अन्य FDR/ अन्य डिजिटल माध्यम द्वारा जमा करके इस कमी को पूरा करना होगा।
13. यदि लाइसेंसधारक द्वारा इस अनुबंध की किसी ऐसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है जिसको संस्थान द्वारा गंभीरता से लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में संस्थान अपने विवेकाधिकार से लाइसेंसधारक द्वारा जमा की गई राशि को आंशिक अथवा पूर्णरूप में जब्त कर सकता है।
14. लाइसेंसधारक को वास्तविक विद्युत उपभोग के आधार पर उस समय की विद्युत दर के हिसाब से संपदा कार्यालय में बिजली बिल का भुगतान करना होगा। इस उद्देश्य हेतु संस्थान द्वारा उक्त परिसर में एक विद्युत मीटर लगाया जाएगा। हालांकि बिजली की दरों में समय-समय पर परिवर्तन/संसोधन हो सकता है। ऐसी स्थिति में लाइसेंसधारक को उस समय की परिवर्तित दरों के हिसाब से बिजली बिल का भुगतान करना होगा।
15. हालांकि यदि बिजली की खपत का भुगतान तीन महीने तक बकाया है तो संस्थान द्वारा उस समय जो उचित समझा जायेगा कार्यवाई करने की स्वतंत्रता होगी।
16. स्टैण्ड में साइकिल तथा स्कूटर/मोटर साइकिल के लिये चार्ज की दरें संस्थान द्वारा नियमित दरों के अनुरूप रहेंगी तथा उनसे भिन्न दरें चार्ज करने पर ठेकेदार के विरुद्ध संस्थान अर्थदण्ड सहित अन्य कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा। इस सम्बन्ध में यदि तीन से अधिक गम्भीर शिकायतें प्राप्त होती है तो ठेके को संस्थान के विवेकानुसार निरस्त किया जा सकता है।
17. स्टैण्ड का ठेका किसी भी रूप में अथवा उसका कोई भी अंश अहस्तांतरणीय है तथा स्टैण्ड में वाहनों/साइकिलों को खड़ा करने के अतिरिक्त अन्य कोई व्यवसाय अनुमन्य नहीं है। इसका उल्लंघन पाये जाने पर ठेका बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।

18. लाइसेंसधारक की मृत्यु की स्थिति में, अनुबंध समझौता स्वतः ही मृत्यु की तिथि से समाप्त हो जाएगा और स्टैण्ड का खाली कब्जा 30 दिनों के भीतर सम्पदा कार्यालय को सौंप दिया जाएगा।
19. लाइसेंसधारी के अमान्य होने की स्थिति में, अनुबंध समझौते को लाइसेंसधारी को 30 दिनों का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है, जिसके बाद स्टैण्ड का खाली कब्जा सम्पदा कार्यालय द्वारा ले लिया जाएगा।
20. यदि मौजूदा लाइसेंसधारी के खिलाफ स्वयं की गलती एवं लापरवाही, संस्थान परिसरवासियों एवं छात्र/छात्राओं द्वारा कोई शिकायत दर्ज की जाती है या फिर सी.ई.एम.एम.सी. की ओर से शिकायत मिलने पर दण्ड अथवा अर्थदण्ड दिया जा सकता है। इस प्रकार का दण्ड शिकायत के स्वरूप के आधार पर प्रभारी अधिकारी (संपदा) द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रकार के मामलों में पहली बार 5,000, दूसरी बार 10,000 तथा तीसरी बार 20,000 रुपये की राशि या ऐसा ही उच्च अर्थदण्ड जोकि सीईएमएमसी/संस्थान द्वारा उपयुक्त समझा जाएगा लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भविष्य में होने वाली निविदा प्रक्रिया से भी उसे बाहर किया जा सकता है।
21. स्टैण्ड पर कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों का प्रवेशपत्र सम्पदा कार्यालय से बनवाना अनिवार्य होगा तथा सभी कर्मचारी अपना प्रवेशपत्र संस्थान के अधिकारियों/सुरक्षाकर्मियों द्वारा माँगे जाने पर प्रस्तुत करेंगे। कार्य में लगाये गये व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति को स्टैण्ड में ठहरने की अनुमति नहीं होगी। इन शर्तों का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में अथवा संस्थान के सुरक्षा विभाग से इस आशय की शिकायत मिलने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है।
22. लाइसेंसधारक संबंधित परिसर का प्रयोग जिस उद्देश्य के लिए संस्थान द्वारा उसे यह दिया गया है केवल उसी उद्देश्य के लिए कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि लाइसेंसधारक अन्य किसी दूसरे उद्देश्य के लिए परिसर का प्रयोग करता है तो उल्लिखित अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा।
23. संपदा कार्यालय की पूर्व लिखित अनुमति के बगैर लाइसेंसधारक इस परिसर का इस्तेमाल आवासीय उद्देश्य अथवा अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं करेगा। लाइसेंसधारक परिसर का इस्तेमाल ऐसे बुद्धिमान एवं सावधानीपूर्वक तरीके से करेगा जैसे कि यह परिसर उसका खुद का हो।
24. अनुज्ञापी/ठेकेदार को उक्त स्टैण्ड को संचालित करने में यदि किसी प्रकार की कोई हानि होती है तो उसकी जिम्मेदारी संस्थान की नहीं वरन् स्वयं अनुज्ञापी/ठेकेदार की होगी।
25. यह अनुबंध/ठेका लाइसेंस के अधीन होगा तथा निविदाकर्ता को संज्ञान दिया जाता है कि साईकिल तथा स्कूटर/मोटर साईकिल स्टैण्ड सहित संस्थान परिसर की सभी परसम्पत्तियां सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत व्यवसायों की बेदखली अधिनियम), 1971 के उपबन्धों से आवृत्त है।
26. निविदा की शर्तों/शब्दार्थ में मतान्तर होने की स्थिति में उसका स्पष्टीकरण देने के लिये सक्षम प्राधिकारी प्रभारी अधिकारी सम्पदा कार्यालय होंगे जिनका स्पष्टीकरण अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
27. ठेकेदार अपने कर्मचारियों, उनकी सेवाशर्तों, उनके विनियोजन आदि के लिये स्वयं एवं अन्तिम रूप से उत्तरदायी होगा तथा संस्थान का ऐसे प्रकरणों से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं रहेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों वश ठेकेदार के कर्मचारियों अथवा ठेके से सम्बन्धित किसी भी मामले पर संस्थान को किसी प्रकार का कोई अर्थदण्ड या अन्य दायित्व वहन करने की स्थिति आती है जिसके लिये अन्यथा ठेकेदार उत्तरदायी है, तो इस प्रकार के समस्त अर्थदण्ड तथा आर्थिक अधिभार उसे संस्थान में जमा करना होगा अन्यथा कि स्थिति में उनकी वसूली ठेकेदार की प्रतिभूति राशि से की जायेगी। पुनः यदि किसी स्थिति वश प्रतिभूति राशि में कटौती के कारण प्रतिभूति राशि में कमी आ जाती है तो ऐसी कम हुई धनराशि या अन्तर की धनराशि ठेकेदार संस्थान से सूचना मिलने के एक सप्ताह के भीतर संस्थान के निर्देशानुसार जमा करेगा एवं कम हुई प्रतिभूति राशि की प्रतिपूर्ति करेगा।

28. ठेकेदार का यह दायित्व है कि उनके सभी कर्मचारी संस्थान के सक्षम प्राधिकारियों/सुरक्षाकर्मियों के निर्देशों, संस्थान के अनुशासन का अनुपालन करें तथा वह मितभाषी व मृदुव्यवहार करें। संस्थान प्रशासनिक कारणोंवश किसी भी कर्मचारी का संस्थान परिसर में प्रवेश अथवा नियोजन निषिद्ध कर सकता है जिसका परिपालन करने के लिये ठेकेदार बाध्य होगा।
 29. स्टैण्ड के ठेके से सम्बन्धित अनुबन्ध के बारे में किसी भी विवाद की स्थिति में मध्यस्थ/पंचनिर्णायक की नियुक्ति का अधिकार संस्थान के उपनिदेशक या उनके द्वारा नामित अधिकारी को होगा तथा मध्यस्थता की सुनवाई का स्थल संस्थान परिसर होगा। मध्यस्थता की प्रक्रिया इस सम्बन्ध में लागू विधि विहित व्यवस्था के अनुरूप की जायेगी।
 30. स्टैण्ड के ठेके तथा अनुबन्ध के बारे में निर्णय का न्यायिक प्राधिकार जनपद कानपुर नगर के न्यायालय का ही होगा।
 31. स्टैण्ड में रखी जाने वाली साईकिल तथा स्कूटर/मोटर साईकिल आदि के लिये ठेकेदार अथवा उसके कर्मचारी कमांक के साथ अंकित छपी रसीद स्वयं के खर्चे से जिसमें साईकिल तथा स्कूटर/मोटर साईकिल की दरें स्पष्टतया अंकित हो, अनिवार्य रूप से जारी करेंगे तथा इस रसीद के आधार पर ही वाहनों को जमा किया जायेगा अथवा छोड़ा जायेगा।
 32. स्टैण्ड से यदि कोई साईकिल तथा स्कूटर/मोटर साईकिल चोरी या गायब होती है, तो उसकी अदायगी का दायित्व ठेकेदार का होगा तथा संस्थान का उससे कोई वास्ता नहीं होगा। स्टैण्ड में किसी भी प्रकार की अन्य गड़बड़ी चाहे वह स्वयं ठेकेदार द्वारा, उसके अधीन कर्मचारियों द्वारा अथवा किन्हीं अन्य कारणों से हुई हो, के लिये ठेकेदार ही अन्तिम रूप से जिम्मेदार होगा।
 33. स्टैण्ड सप्ताह के सातों दिन तथा दिन के चौबीस घण्टे कार्यरत रहेगा जिसके सुचालन का दायित्व ठेकेदार का होगा। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा बहाना स्वीकार्य नहीं होगा। स्टैण्ड बिना व्यवधान के अनवरत रूप से ठेकेदार द्वारा संचालित किया जायेगा बशर्ते स्थितियां उभयपक्षों के नियंत्रण से परे (Force Majeure) की न हो।
 34. अनुज्ञप्ति के तहत ठेकेदार के अधीन केवल भा0प्रौ0सं0 कानपुर के मुख्य द्वार के समीपस्थ स्टैण्ड परिसर ही आवृत्त होगा तथा उसकी सीमा से परे स्थान को स्टैण्ड के रूप में कदापि प्रयुक्त नहीं किया जायेगा।
- मैंने उपरोक्त निविदा की सभी नियम एवं शर्तें पढ़ ली हैं तथा यह सभी मुझे पूर्णतया मान्य है इस नीलामी के सम्बन्ध में संस्थान निदेशक का निर्णय सभी निविदादाताओं को समान रूप से मान्य होगा।

निविदा देने की तारीख:

स्वहस्ताक्षरित नवीन फोटो

.....
 निविदादाता के हस्ताक्षर
 निविदादाता का पूरा नाम व पता
 (पिन कोड एवं फोन/मोबाइल नं० सहित)

 मोबाइल नंबर:

बोलीदाता के हस्ताक्षर

सेवा में,
प्रभारी अधिकारी
सम्पदा कार्यालय
भा0प्रौ0सं0, कानपुर।

स्वहस्ताक्षरित
नवीन फोटो

विषय— संस्थान परिसर के मुख्य द्वार, रेलवे कासिंग के समीप स्थित साईकिल/स्कूटर स्टैण्ड को ठेके पर चलाने हेतु निविदा।

महोदय,

मैं नीलामी सूचना संख्या 10/2025-26 दिनांक 05.08.2025 के सम्बन्ध में अपनी निविदा आपके विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

निविदादाता का नाम

पिता का नाम

आयु

पूरा पता

क्या आपने रु0/- का बैंक ड्राफ्ट बयाने की राशि के रूप में

इस निविदा के साथ संलग्न किया है?

यदि हाँ तो ड्राफ्ट सं0 दिनांक एवं बैंक का नाम

निविदाकर्ता संस्थान द्वारा नियत दरों पर जो वर्तमान में निम्नवत् है तथा समय-समय पर परिवर्तित हो सकती हैं, प्रदान करने के लिये तत्पर है।

उपयोगकर्ताओं की श्रेणी	अवधि	दरें	
		साईकिल	स्कूटर/मोटर साईकिल
संस्थान के आईडी कार्ड सहित (संकाय, छात्र, कर्मचारी एवं उनके आश्रित)	24 घंटे	रु 05/-	रु 10/-
	पखवाड़ा (15 दिन)	रु 70/-	रु 140/-
	15 दिनों के बाद अतिरिक्त शुल्क प्रति दिन	रु 08/-	रु 15/-
संस्थान के आईडी कार्ड के बिना/अन्य	24 घंटे	रु 10/-	रु 20/-
	पखवाड़ा (15 दिन)	रु 150/-	रु 250/-
	15 दिनों के बाद अतिरिक्त शुल्क प्रति दिन	रु 15/-	रु 25/-

साईकिल तथा स्कूटर/मोटरसाईकिल स्टैण्ड के लिये मेरी वार्षिक निविदा राशि निम्नवत् रहेगी:-

रु0

शब्दों में रूपया

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

टेलीफोन/मोबाइल नं0

.....
निविदादाता के हस्ताक्षर